रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1993] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 26, 2014/अश्विन 4, 1936
No. 1993] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2014/ASVINA 4, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सं. 89/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2522(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स बेनिनका ऑटोमेसन्स प्रा.लि., 112/1, तृतीय तल, लाल बाग फोर्ट रोड, मिनर्वा सर्कल, बंगलुरू-560004 को सहायक निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, रीजनल यूनिट, पटना द्वारा डीआरआई फा.सं. 718 (ii)12/सेज/पीआरयू/13-14 दिनांक 7 जून, 2013 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, (अधिनिर्णयन), सी.आर. बिल्डिंग, क्वीन रोड, बंगलुरू-560001

(ii) उप-आयुक्त या सहायक आयुक्त सीमा-शुल्क (अधिनिर्णयन), सी.आर. बिल्डिंग, क्वीन रोड, बंगलुरू-560001

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, (अधिनिर्णयन), सी.आर. बिल्डिंग, क्वीन रोड, बंगलुरू-560001 को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/72/2013-सीमा-शुल्कIV]

आर.पी.सिंह,निदेशक

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

No. 89/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 2522 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, (Adjudication), C.R. Building, Queen's Road, Bengaluru-560001 to act as an adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs (Adjudication), C.R. Building, Queen's Road, Bengaluru-560001

(ii) the Deputy Commissioner or Assistant Commissioner of Customs (Adjudication), C.R. Building, Queen's Road, Bengaluru-560001

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notices pertaining to M/s Beninca Automations Pvt. Ltd., 112/1, 3rd floor, Lalbagh Fort Road, Minerva Circle, Bengaluru-560004 issued *vide*, DRI F.No.718(ii)12/Seiz/PRU/13-14 dated 7th June 2013 by the Assistant Director, Directorate of Revenue Intelligence, Regional Unit, Patna.

[F.No. 437/72/2013-Cus. IV]

R.P.SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली 26, सितम्बर, 2014

सं. 90/2014-सीमा-शुल्क (गै.टे.)

का.आ. 2523 (अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड श्री प्रदीप सी. जगादा, ए-606, श्याम शिकार बिल्डिंग, इंडिया कॉलोनी, बापू नगर, अहमदाबाद और अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसूचना निदेशालय, अहमदाबाद जोनल यूनिट, अहमदाबाद द्वारा फा.सं. डीआरआई/एजेडयू/आईएनक्यू-81/2013, दिनांक 17 अप्रैल, 2013 के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम हाऊस, निकट आल इंडिया रेडियो नवरंगपुरा, अहमदाबाद;

(ii) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमा-शुल्क, कस्टम हाऊस, शारदा हाऊस, जामनगर, गुजरात,

को दी गई शक्तियों का प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए, एतद्वारा, अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क, कस्टम हाऊस, निकट आल इंडिया रेडियो नवरंगपुरा, अहमदाबाद को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/55/2014-सीमा-शुल्क IV]

आर.पी.सिंह,निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

No.90/2014-Customs (N.T.)

S.O. 2523 (E). – In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and Sub-section (1) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio, Navrangpura, Ahmedabad to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Custom House, Near All India Radio Navrangpura, Ahmedabad;

(ii) the Additional Commissioner or Joint Commissioner of Customs, Custom House, Sharda House, Jamnagar, Gujarat,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to Shri Pradip C. Jagada, A-606, Shyam Shikar Building, India Colony, Bapu Nagar, Ahmedabad and others *vide*F.No. DRI/AZU/INQ-81/2013, dated the17th April, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Ahmedabad Zonal Unit, Ahmedabad.

[F.No. 437/55/2014-Cus. IV]

R.P.SINGH, Director

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सं. 91/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ.2524(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड श्रीकांत झावर, ए/7/28, कृष्णा नगर, दिल्ली और अन्य को अपर निदेशक, राजस्व आसचूना निदेशालय, मुम्बई जोनल यूनिट, मुम्बई द्वारा फा.सं. डी आर आई/ एम ज़ेड यू/सी /आई एन वी-14ए/ 2010-11/5270 से 5278, दिनांक 2 जून, 2014 के तहत जारी किए गए शुद्धि-पत्र के साथ पठित फा.सं. डी आर आई/ एम जेड यू/ सी/ आई एन वी-14ए /2010-11, 29 मार्च, 2014 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय-निर्णयन के लिए-

(i) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली;

(ii) अपर आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिल्ली-IV; और

(iii) अपर आयुक्त सीमा-शुल्क, (पतन-आयात), जवाहरलाल नेहरू, कस्टम हाउस, न्हावा शेवा, रायगढ़, महाराष्ट्र,

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क इनलैंड कन्टेनर डिपो, तुगलकाबाद, नई दिल्ली को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/70/2014- सीमा-शुल्क IV]

आर.पी.सिंह,निदेशक (सीमाशुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, 26th September, 2014

No. 91/2014-Customs (N.T.)

S.O.2524 (E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs, Inland Container Depot, Tughlakabad, New Delhi;

(ii) the Additional Commissioner of Central Excise, Delhi-IV; and

(iii) the Additional Commissioner of Customs (Port-Import), Jawaharlal Nehru Customs House, Nhava Sheva, Raigad, Maharashtra,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to Srikant Jhavar, A/7/28, Krishna Nagar, Delhi and others issued *vide* F. No. DRI/MZU/C/Inv-14A/2010-11, dated the 29th March, 2014 read with corrigendum issued *vide* F. No. DRI/MZU/C/Inv-14A/2010-11/5270 to 5278, dated the 2nd June, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai Zonal Unit, Mumbai.

[F. No. 437/70/2014-Cus IV]

R. P. SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सं. 92/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2525(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उप-धारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स बोस्क लिमिटेड, होसुर रोड, अदुकोडी, बंगलौर (कर्नाटक)- 560030 तथा अन्य को अपर निदेशक (सी आई), राजस्व आसूचना निदेशालय, नई दिल्ली के द्वारा डी आर आई फा. सं. 50डी/57/2011-सी आई/1472 से 1477, 12 मई, 2014 के तहत जारी कारण बताओ नोटिस तथा डी आर आई, फा. सं. 50डी/57/2011-सी आई/2034 से 2039, दिनांक 8 जुलाई, 2014 के तहत जारी शुद्धिपत्र के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए,

(i) अपर आयुक्त या संयुक्त आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात), एयर कार्गो काम्प्लेक्स, सहर, अंधेरी (पूर्वी), मुम्बई;

(ii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, आयात तथा जनरल आयुक्तालय, न्यू कस्टम हाऊस, नई दिल्ली;

(iii) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, (एयरपोर्ट तथा एयर कार्गो), इन्टेग्रेटेड एयर एक्सपोर्ट कॉम्प्लेक्स, चैन्ने;

(iv) संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमाशुल्क, सी आर बिल्डिंग, क्वीन्स रोड, पी बी- सं. 5400, बंगलुरू;

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्द्वारा संयुक्त आयुक्त या अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (आयात) एयर कार्गो काम्प्लैक्स, सहर अंधेरी (पूर्वी), मुम्बई, को एक उभय न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रुप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/76/2014- सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, 26th September, 2014

No. 92/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 2525(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, Sahar, Andheri (E), Mumbai;

(ii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, Import and General Commissionerate, New Custom House, New Delhi;

(iii) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, (Airport and Air Cargo) Integrated Air Export Complex, Chennai;

(iv) the Joint Commissioner or Additional Commissioner of Customs, C.R. Building, Queen's Road, P.B. No. 5400, Bangalore,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Bosch Limited, Hosur Road, Adugodi, Bangalore (Karnataka)-560030 and others issued *vide* DRI F. No. 50D/57/2011-CI/1472 to 1477, dated the 12th May, 2014 and corrigendum issued *vide* DRI F. No. 50D/57/2011-CI/2034 to 2039, dated the 8th July, 2014 issued by the Additional Director (CI), Directorate of Revenue Intelligence, New Delhi.

[F. No. 437/76/2014-Cus. IV]

R.P.SINGH, Director (Customs)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2014

सं. 93/2014-सीमा-शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 2526(अ).— सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52), की धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा-शुल्क बोर्ड मैसर्स जीनेन्द्र मार्केटिंग 275/8, न्यू टिम्बर यार्ड ले आऊट, निकट एन ए के कल्याण मनतया, मैसूर रोड, बंगलुरू- 560026 के तहत् जारी डी आर आई फा.सं. एस/IV/59/2013, दिनांक 17 जून, 2014 तथा मैसर्स जुनैद इन्टीरियर डिजाइन #1/25, 9वां मेन, यारब नगर, बनशंकारी दूसरी स्टेप बंगलुरू- 560070 के तहत जारी डी आर आई फा.सं. एस/IV/61/2013, दिनांक 17 जून, 2014 के तहत जारी की गई कारण बताओ नोटिस से संबंधित मामलों में न्याय निर्णयन के लिए,

(i) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क (समूह 3 तथा 4) सी पोर्ट- आयात, कस्टम हाऊस, सं. 60, राजाजी सलाई, चैन्ने;

(ii) अपर आयुक्त, सीमा-शुल्क, बंगलुरू इनलैंड कन्टेनर डिपो, वाइट फील्ड, बंगलुरू- 560066

को दी गई शक्तियों को प्रयोग करने और उनको सौंपे गये कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए एतद्वारा अपर आयुक्त, सीमाशुल्क (समूह 3 तथा 4), सीपोर्ट-आयात, कस्टम हाऊस, सं. 60, राजाजी सलाई, चैन्ने को एक न्याय निर्णयन प्राधिकारी के रुप में काम करने के लिए नियुक्त करता है।

[फा. सं. 437/106/2014- सीमा-शुल्क IV]

आर. पी. सिंह, निदेशक (सीमा-शुल्क)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2014

No. 93/ 2014-Customs (N.T.)

S.O. 2526(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 and sub-section (1) of Section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Additional Commissioner of Customs (Group 3 and 4), Seaport-Import, Custom House, No. 60, Rajaji Salai, Chennai to act as a Common Adjudicating Authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on-

(i) the Additional Commissioner of Customs (Group 3 and 4), Seaport-Import, Custom House, No. 60, Rajaji Salai, Chennai ;

(ii) the Additional Commissioner of Customs, Bangalore Inland Container Depot, Whitefield, Bangalore-560066,

for the purpose of adjudicating the matters relating to show cause notice pertaining to M/s Jinendra Marketing #275/8, New Timber yard layout Near N. A. K. Kalyana Mantapa, Mysore Road, Bangalore-560026 issued *vide* DRI F. No. S/IV/59/2013, dated the 17th June,2014 and M/s Junaid Interior Design #1/25, 9th Main, Yarab Nagar, Banashankari 2nd Stage, Bangalore-560070 issued *vide* DRI F. No. S/IV/61/2013, dated the 17th June, 2014 by the Additional Director, Directorate of Revenue Intelligence, Bangalore.

[F. No. 437/106/2014-Cus IV]
R.P. SINGH, Director (Customs)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.